न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या–१, प्रतापगढ।

स्टेट बनाम पवन पाण्डेय व १ अन्य

सत्र परीक्षण संख्या–२९५/२०१९
मु०अ०सं०–११९०/२०१८
धारा–३०७,४१९,४२०,४६७,४६८,४७१,
४१/४११ भा०दं०सं०
थाना–कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

दिनाँकः०२.०२.२०२१

अभियुक्त पवन पाण्डेय जेरे हिरासत व **अभियुक्त आकाश सिंह** व्यक्तिगत रूप से मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोप के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–३०७,४१९,४२०,४६७, ४६८,४७१,४११ भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–३०७,४६७,४६८,४७१,४११ भा०दं०सं० का बनता है, जिससे अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा–४१९,४२० भा०दं०सं० का बनना नहीं पाया जाता है।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–३०७,४६७,४६८,४७१,४११ भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया एवं विचारण की याचना की। पत्रावली दिनाँक–१६.०२.२०२१ को साक्ष्य हेतु पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये समन तलब हों।

दिनाँकः०२.०२.२०२१

(संतोष कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या–१,
प्रतापगढ।

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या–१, प्रतापगढ।

स्टेट बनाम पवन पाण्डेय व १ अन्य

सत्र परीक्षण संख्या–२९५/२०१९
मु०अ०सं०–११९०/२०१८
धारा–३०७,४१९,४२०,४६७,४६८,४७१,
४१/४११ भा०दं०सं०
थाना–कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

आरोप

मैं, संतोष कुमार तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या–१, प्रतापगढ आप अभियुक्तगण **१. पवन पाण्डेय व २. आकाश सिंह** को निम्नवत् आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथम–यह कि दिनाँक–०९/१०.१२.२०१८ को समय करीब ३.२० बजे बहद स्थान कस्बा सिटी काली देवी मन्दिर से नरवा की ओर जाने वाले मार्ग पर, थाना–कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी करने पर सामान्य आशय के अग्रसरण में आप लोगों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर हत्या का प्रयास किया, जिसमें दस वर्ष तक की या आजीवन कारावास के दण्ड की व्यवस्था है। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा–३०७/३४** भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय–यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आप लोगों के कब्जे से एक अदद मोटर साइकिल हीरो स्पेलेण्डर प्रो–यू०पी०–७२आर–९३२८ बरामद की गयी जिसे आप लोगों ने चोरी की होना बताया। इस प्रकार आप लोगों के कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुयी जो **धारा–४१/४११** भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय–यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आप लोगों के कब्जे से एक अदद चोरी की मोटर साइकिल हीरो स्पेलेण्डर प्रो–यू०पी०–७२आर–९३२८ बरामद की गयी जिसमें आप लोगों द्वारा नम्बर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गयी है। जो **धारा–४६७** भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ–यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आप लोगों के कब्जे से एक अदद चोरी की मोटर साइकिल हीरो स्पेलेण्डर प्रो–यू०पी०–७२आर–९३२८ बरामद की गयी जिसमें आप लोगों द्वारा छल के प्रयोजन से नम्बर प्लेट बदल कर मोटर साइकिल उपयोग में लायी जा रही थी। जो **धारा–४६८** भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

पंचम–यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आप लोगों के कब्जे से एक अदद चोरी की मोटर साइकिल हीरो स्पेलेण्डर प्रो–यू०पी०–७२आर–९३२८ बरामद की गयी जिसमें आप लोगों द्वारा छल के प्रयोजन से नम्बर प्लेट बदल कर यह जानते या विश्वास करने का कारण रखते हुए नम्बर प्लेट कूटरचित है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग कर रहे थे। जो **धारा–४७१** भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप अभियुक्तगण को निर्देश देता हूँ कि आप लोगों का परीक्षण उपरोक्त धाराओं में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

<u>दिनाँकः०२.०२.२०२१</u> (संतोष कुमार तिवारी)

अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या–१,

प्रतापगढ।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया व उनसे पूंछा गया कि वे जुर्म स्वीकार करना चाहते हैं या विचारण चाहते हैं? अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया व परीक्षण की याचना किया।

<u>दिनाँकः०२.०२.२०२१</u> (संतोष कुमार तिवारी)

अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या–१,

प्रतापगढ।

Digitally signed by Santosh Kumar Tiwari
Date: 2021.02.02 17:25:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court